DSWO P2D पत्रांक/8335-36/ दिनांक 26.05.16
प्रा. नेगराज

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

अर्द्ध शा०प०सं०– 3815 /प्र०स०स०क०/2016
उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग
लखनऊ दिनांक : 04 मई, 2016
फोन नंबर– 0522–2238083
ई–मेल–psecup.socwel@nic.in

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान *उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2016* तथा *उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2016*, जो दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को निर्गत किया गया है, के अनुसार किया जायेगा। इसी प्रकार पूर्व दशम (कक्षा–9 एवं 10) के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु भी *उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली–2016* एवं *उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली–2016* दिनांक 16 मार्च, 2016 को निर्गत की गयी है। वर्ष 2016–17 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु समय–सारिणी भी शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के माध्यम से निर्धारित की जा चुकी है। उक्त नियमावली तथा समय–सारिणी से संबंधित शासनादेश **shasanadesh.up.nic.in** अथवा **scholarship.up.nic.in** से डाउनलोड की जा सकती है।

2– नियमावली में शिक्षण संस्थान के दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिये गये हैं, जिसके कतिपय मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

i. वर्ष 2016–17 से विभागीय वेबसाईट **scholarship.up.nic.in** पर प्रत्येक शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी को शिक्षण संस्थान की मान्यता, परीक्षा संस्था से संबद्धता, संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के नाम, अवधि, स्वीकृत सीट संख्या तथा ली जाने वाली फीस आदि से संबंधित विवरण को ऑनलाईन अपडेट करना होगा तथा सभी संबंधित अभिलेख की स्कैन कॉपी को मास्टर डाटा में अपलोड करना होगा। **मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य तथा नोडल अधिकारी के <u>डिजिटल सिग्नेचर</u> से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।** मास्टर डाटा बेस में शुद्ध डाटा ऑनलाईन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान का है।
ii. शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य तथा नोडल अधिकारी का मोबाईल नंबर, ई–मेल, पैन नंबर तथा आधार नंबर भी वेबसाईट पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा।
iii. यह कार्य दिनांक 01 मई, 2016 से दिनांक 15 जुलाई, 2016 तक किया जा सकता है।

26/5/16

iv. शिक्षण संस्था नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के संबंध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन अंकित करेंगे। इसकी अंतिम तिथि शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्रों को सत्यापित करने एवं अग्रसारित करने हेतु नियत अंतिम तिथि ही होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उक्त शिक्षण संस्थान के समस्त नव प्रवेशित एवं नवीनीकरण के छात्रों के आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

v. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह अगले वर्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह हो जायेगा। यह सुनिश्चित करना शिक्षण संस्थान का दायित्व है कि छात्रों द्वारा वार्षिक परीक्षा से संबंधित जो विवरण भरे गये हैं, वह पूर्णतया सही हैं। यदि किसी छात्र के द्वारा त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया जाता है तो ऐसे आवेदन–पत्रों को शिक्षण संस्थान अग्रसारित नहीं करेंगे।

vi. प्रत्येक शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य तथा नोडल अधिकारी को अपने डिजिटल सिग्नेचर से यह प्रमाणित करना होगा कि उनके संस्थान से अग्रसारित किये गये समस्त छात्रों के आवेदन–पत्रों की भली–भांति जांच कर ली गयी है तथा वे उस संस्थान के नियमित छात्र हैं। यह भी प्रमाणित किया जायेगा कि पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट के सापेक्ष अधिक छात्रों के आवेदन–पत्र न प्राप्त किये गये हैं तथा न ही अग्रसारित किये गये हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या (जिन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया गया है) अनुमोदित पाठ्यक्रम में अनुमन्य छात्र प्रवेश क्षमता की 40 प्रतिशत से अनधिक नहीं है।

vii. पूर्व दशम् एवं इंटर के छात्रों के संबंध में शिक्षण संस्थान यह भी प्रमाणित करेंगे कि जिन छात्रों के आवेदन–पत्र अग्रसारित किये गये हैं, उन सभी छात्रों का *उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद* के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इस संबंध में यदि कोई त्रुटि बाद में पायी जाती है तो यह माना जायेगा कि संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी छात्रों को प्रवेशित दिखाकर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के व्यपहरण का प्रयास किया गया है।

viii. यदि किसी छात्र को जिस वर्ष हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गयी है और यह पाया जाता है कि छात्र ने उस पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ दिया है, तो छात्र को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस करनी होगी। यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उस दशा में उस पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ दिया जाना माना जायेगा और छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली विभाग द्वारा की जायेगी।

ix. वर्ष 2016–17 से छात्रों के अभिभावकों की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय आवेदन करने हेतु केवल अर्हकारी हो गयी है। अब छात्रों के वरीयता क्रम के निर्धारण में इसका कोई वेटेज अलग से नहीं दिया जायेगा। छात्रों के द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक तथा पाठ्यक्रम के ग्रुप को ही नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार वेटेज दिया जायेगा।

x. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।

छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।

3– वर्ष 2016–17 से कतिपय नवीन सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

i. शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य तथा नोडल अधिकारी, जिनका मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पोर्टल पर पंजीकृत है, को एस0एम0एस0 तथा ई–मेल के माध्यम से समय–समय पर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के संबंध में आवश्यक सूचना संसूचित करना।

ii. पोर्टल पर यह व्यवस्था की जा रही है कि नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्र केवल नवीनीकरण छात्र के रूप में ही आवेदन कर सकेंगे।

iii. नये छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाईनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में ऑनलाईन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मुख्य रूप से आय, जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक की प्रविष्टि में त्रुटि, हाईस्कूल के रोल नंबर की प्रविष्टि में त्रुटि से संबंधित होगी।

iv. अतएव यह आवश्यक है कि निर्धारित अंतिम तिथि के कम–से–कम 04 दिवस पूर्व तक छात्र अपने ऑनलाईन आवेदन को पूर्ण कर लें ताकि यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का अवसर फाईनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व उन्हें मिल सके।

v. यह भी व्यवस्था की जा रही है कि राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लॉगिन पर दिनांक 01 से 10 नवंबर, 2016 तक प्रदर्शित किया जायेगा और ऑनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। तदुपरांत छात्र अपने संशोधित आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर वांछित अभिलेखों सहित शिक्षण संस्थान में 03 दिन के अंदर, विलंबतम दिनांक 13 नवंबर, 2016 तक जमा कर सकेंगे।

vi. वर्ष 2016–17 से सभी छात्रों को अपने आवेदन–पत्र में आधार नंबर तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नंबर के साथ–साथ 'एनरोलमेंट नंबर' भरना अनिवार्य होगा।

4– अतएव उपरोक्त के आलोक में यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के स्तर पर निम्न कार्यवाही प्राथमिकता पर अविलंब संपादित की जाय :–

- छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली को डाउनलोड कर उसका भलीभांति अध्ययन शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी द्वारा कर लिया जाय
- शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी तत्काल अपना डिजिटल सिग्नेचर अधिकृत संस्था से अविलंब बनवाना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा सके

- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान से संबंधित समस्त विवरण अद्यावधिक व सही हों
- शासन द्वारा निर्गत समय–सारिणी का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय
- छात्रों का भी इस संबंध में समय–समय पर मार्गदर्शन किया जाय। छात्रों की सुविधा हेतु अपने विद्यालय में जिला प्रशासन से समन्वय कर आधार नंबर बनवाने हेतु विशेष कैम्प लगवाने की भी व्यवस्था करें
- नव प्रवेशित एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के अनुपात पर व्यक्तिगत ध्यान शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा दिया जाय
- शिक्षण संस्थान द्वारा सभी "मिसिंग स्टूडेंट्स" के संबंध में ऑनलाईन कारण अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो कारण अंकित किये जायेंगे, उसका स्थलीय सत्यापन शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा भी किया जायेगा। अतएव ऑनलाईन कारण अंकित करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाय और इस डाटा को भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी को अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करना होगा

5– मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत् गरीब वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

सद्भावना सहित,

भवदीय,

24.5.16

(सुनील कुमार)

समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य
(संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से)

संख्या-१९(2016/आर-1338/26-3-2016-4(358)/07टी.सी. 11)

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः- 30-04 - 2016

विषयः-शैक्षिक सत्र-2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा ग्रुप-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में समन्वय स्थापित कर पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य अन्य समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही आन-लाइन अनिवार्य कर दी गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-153/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-28.04.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा ग्रुप-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये निम्नवत् समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र. सं.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समयावधि कक्षा 11-12 हेतु	कार्यवाही की समयावधि समूह-1,2,3 व 4 (कक्षा 11-12 को छोड़कर)
1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना एवं मास्टर डाटा में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण/अपडेट करने की कार्यवाही किया जाना।	01 मई 2016 से 15 जुलाई 2016 तक	01 मई 2016 से 15 जुलाई 2016 तक
2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।
3	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।
4	सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।

--2

5	आई0टी0आई0, पालीटेक्निक, स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा एस0सी0आर0टी0 द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।
6	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों की फीस का विवरण शत-प्रतिशत आनलाइन लाक किया जाना।	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।
7	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 31 अगस्त, 2016 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक
8	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में।
9	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 सितम्बर, 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 अक्टूबर, 2016 तक
10	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01 जुलाई से 14 सितम्बर, 2016 तक	01 जुलाई से 14 अक्टूबर, 2016 तक
11	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना	01 जुलाई से 17 सितम्बर 2016 तक	01 जुलाई से 17 अक्टूबर, 2016 तक
12	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना एवं PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	18 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2016 तक	18 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2016 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	31 अक्टूबर, 2016 तक	30 नवम्बर, 2016 तक
14	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	01 से 10 नवम्बर 2016 तक	01 से 10 नवम्बर 2016 तक
15	ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक

16	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2016 तक	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2016 तक
17	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक
18	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	15 दिसम्बर, 2016 तक	15 दिसम्बर 2016 तक
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना	25 दिसम्बर 2016 तक	25 दिसम्बर 2016 तक
20	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेन्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	31 दिसम्बर, 2016 तक	31 दिसम्बर, 2016 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रवीर कुमार)
मुख्य सचिव

पु0सं0-१९/2016/आर-1338(1)/26-3-2016 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव